

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

विनोद

बनाम

रंजय

2022/69

दिनांक अज्ञात या कार्यवाही	अज्ञात विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
02/07/25	पत्रावली पेश। वकील पडाकार हाजिरा पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट पर उचित आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 14/07/25 को पेश हुई।	उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)
14/07/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पडाकार पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट पर उचित आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 19/07/25 को पेश हुई।	उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)
9/08/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पडाकार उपस्थित। पत्रावली प्रकाशना दिनांक 27/06/25 को पेश हुआ।	उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)
27/08/25	पत्रावली पेश। प्राचीन एवं प्राचीन अधिकार प्रतुपस्थित। ठाट-ठाट भवांग लागवावी गति, फिट भी धारित नहीं। इसमें यह स्पष्ट है कि स्वतः प्राणिका इजाजत को प्राचीन एवं प्राचीन अधिकार प्रतुपस्थित नहीं करना चाहते हैं। अतः प्राचीन का अदम्य धर्म-अदम्य पेंची में स्थापित किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर के अम पेंचट दायित्व-धरत है।	उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)